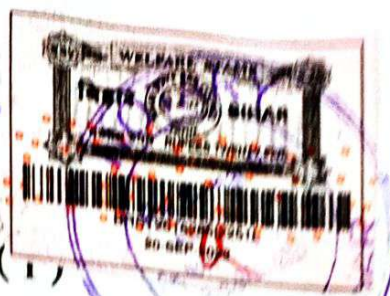


Date 20 SEP 2022



प्रपत्र-ख (1)

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रस्तावक द्वारा दिये जाये वाला
शपथ-पत्र

मैं उषा देवी पति/पति राजेश कुमार
उम्र 37 वर्ष, *नगर निगम/*नगर प्ररषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 30 मोहल्ला ओरिण्डा कला पोस्ट रमणा थाना काणी महमदपुर
जिला मुजफ्फरपुर बिहार का निवासी हूँ, तथा शपथपूर्वक घोषणा करती/करती हूँ:-
कि मैं *नगर निगम/*नगर प्ररषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर
के वार्ड संख्या 30 से *पार्षद/*उप मुख् पार्षद/*मुख्य प्ररषद पद के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने
वाले अभ्यर्थी कुनम कुमारी का प्रस्तावक हूँ,

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से एवं बिहार नगरपालिका
निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) के प्रावधानों से पूर्णतः अवगत हूँ;

कि मैं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 42(2) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम,
2007 की धारा 18 के तहत *नगर निगम/*नगर प्ररषद/*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर
के वार्ड 30 से *पार्षद/*उप मुख् पार्षद/*मुख्य प्ररषद पद के प्रस्तावक/समर्थक बने रहने के
लिए अनर्हित नहीं हूँ;

कि मैं ऊपर कोई आपराधिक मामला देश के भीतर या बाहर के किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

या

मेरे ऊपर आपराधिक मामलों से संबंधित सूचनाएँ (सुस्पष्ट एवं पठनीय, क्रमांक देते हुए) निम्नवत है:

1. देश के भीतर या बाहर के न्यायालय का नाम जहाँ आपराधिक मामला लंबित है- शून्य
2. वाद संख्या- शून्य
3. आरोप की प्रकृति एवं लगाई गई धाराएँ- शून्य

स्थान- मुजफ्फरपुरदिनांक- 20.09.2022

Meekesh Kumar
Advocate
20.09.2022
E.N-2221/2003

U उषा देवी

प्रस्तावक का हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक/ओथ कमिश्नर के समक्ष शपथ ली जाएगी।

The Deponent Identified
Advocate has Solemnly declared
before

Raj Kumar Rai